

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
अंकेंक्षण अनुभाग

विषय:-भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल), 2026 के प्रतिवेदन संख्या-3 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर भिजवाने एवं अनियमितताओं के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल), 2026 के प्रतिवेदन संख्या-3 राजस्थान विधान सभा में दिनांक 21-08-2026 को उपस्थापित किया जा चुका है। उक्त प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वेबसाइट <https://cag.gov.in> तथा महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान की वेबसाइट <https://cag.gov.in/ag2/rajasthan> पर उपलब्ध है।

जैसा कि आपको विदित है भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल), 2026 के प्रतिवेदन संख्या-3 में समाविष्ट अनुच्छेदों के उत्तर महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) को प्रतिवेदन के सदन में उपस्थापित किये जाने की तिथि से तीन माह की अवधि में आवश्यक रूप से भिजवाये जाने हैं। पूर्व में कतिपय विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में उत्तर प्रेषित नहीं करने को जन लेखा समिति ने अत्यधिक गंभीरता से लिया है और शासन को निर्देश दिये हैं कि भविष्य में उत्तर निर्धारित समयावधि में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रतिवेदन में समाविष्ट आपके विभाग/अधीनस्थ विभागों से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर निर्धारित समयावधि तीन माह (दिनांक 20-11-2026 तक) में महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान से संवीक्षोपरान्त राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) को 30 प्रतियों में भिजवाने का कष्ट करावें। राजस्थान विधानसभा को भिजवाये जाने वाले संवीक्षित उत्तर की चार प्रतियाँ महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), राजस्थान तथा एक प्रति वित्त (अंकेंक्षण) विभाग को भी भिजवाये जाने की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। यह भी निवेदन है कि प्रतिवेदन में दर्शाई गई अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए भविष्य के लिए व्यवस्था सुधार एवं अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से समुचित शासकीय निर्देश जारी किये जाकर उनकी पालना सुनिश्चित कराने की कार्रवाई भी करावें। प्रतिवेदन में दर्शायी गई अनियमितताओं के लिए उत्तदायित्व निर्धारित किया जाकर वांछित कार्रवाई भी अमल में लायी जानी अपेक्षित है।


(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

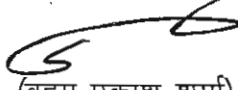
समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

अ.शा. टीप. क्रमांक : प.1(7)वित्त/अंकेंक्षण/2026

जयपुर, दिनांक : 27.08.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा (जन लेखा समिति) जयपुर।
2. महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)/महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर।
3. संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित समस्त अनुच्छेदों के उत्तर अविलम्ब अपने प्रशासनिक विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग एवं समस्त विशिष्ट/संयुक्त शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(ब्रह्म प्रकाश शर्मा)
उप शासन सचिव